~ ~

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 93/2021 अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
किशनाराम पुत्र आशाराम जाति जाट, निवासी जीयाणियों की बस्ती तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. भूराराम पुत्र रणछोड़ाराम 3. चुनीदेवी पत्नी गोरधनराम जाति जाट, निवासी जीयाणियों की बस्ती तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. जुगताराम पुत्र सुखराम जाति जाट, निवासी मूढणों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :– अधिवक्ता वादी – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 से 4 – श्री देवीलाल कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 11.05.2026

संक्षेप में वादी के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मौजा रामदेरिया, तहसील शिव के खसरा नम्बर 583, 368, 560, 564 रकबा क्रमशः 17.9518, 1.9668, 0.1942, 1.6106 हैक्टेयर की आयी हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी को उनके पिता आशाराम पुत्र शिवजीराम के फौत होने पर विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी का विरासती नामांतरकरण वादी के परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा भरवाया गया, जिसमें वादी का गलत घरेलु व आम बोलचाल का नाम किशनाराम पुत्र आदाराम का अंकन करवा दिया गया जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम किशनाराम पुत्र आशाराम है। वर्तमान में वादी का राजस्व रेकर्ड में गलत नाम दर्ज होने से उसे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। वादी के समस्त दस्तावेजात में यथा आधार कार्ड, शपथपत्र आदि में उनका सही एवं वास्तविक नाम किशनाराम पुत्र आशाराम दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में त्रूटिपूर्ण प्रविष्टि अंकित होने से वादी द्वारा अपनी खातेदारी में अपने सही नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी होने एवं भूमि विकास बैंक से सहायता/ऋण प्राप्त करने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत नाम किशनाराम पुत्र आदाराम के स्थान पर सही नाम किशनाराम पुत्र आशाराम घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वादी के नाम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। वादी स्वयं द्वारा उपस्थित होकर साक्ष्य स्वरूप बयान शपथ पत्र पेश किया गया। उक्त नाम दुरस्ती के संबंध में तहसीलदार शिव से तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार वादी का सही नाम किशनाराम पुत्र आशाराम होना बताया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उपस्थित होकर वादी के नाम दुरस्ती के संबंध में साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश किया गया। दौरान बहस अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम किशनाराम पुत्र आदाराम के स्थान पर सही नाम किशनाराम पुत्र

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

आशाराम होना घोषित करते हुए तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा भी वादी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए वादी की नाम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई।

हमने वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम किशनाराम पुत्र आदाराम दर्ज है, जबकि वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड आदि में वादी का नाम किशनाराम पुत्र आशाराम दर्ज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादी के नाम दुरस्ती के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश किये गये है। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार वादी का सही नाम किशनाराम पुत्र आशाराम होना बताया गया है। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा भी उक्तानुसार नाम दुरस्ती बाबत् निवेदन किया गया है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम किशनाराम पुत्र आदाराम के स्थान पर सही नाम किशनाराम पुत्र आशाराम दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा रामदेरिया, तहसील शिव के खसरा नम्बर 583, 368, 560, 564 रकबा क्रमशः 17.9518, 1.9668, 0.1942, 1.6106 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम किशनाराम पुत्र आदाराम के स्थान पर सही नाम किशनाराम पुत्र आशाराम होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव
सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 11.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव
सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner